



911

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लड्डनगर-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक: 734 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक: 26 मई 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला नगरीय विकास अभिकरण
 जनपद-गाजियाबाद।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा छूटा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रुपये में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएससी कोड	धनराशि
सिङ्हिकेट बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	383.10

प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस की धनराशि का प्रेषण			अग्रिम धनराशि का समायोजन			समायोजनों पर आन्तरिक जनपद को प्रेषित धनराशि	
जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल धनराशि	अग्रिम धनराशि का समायोजन	समायोजनों पर आन्तरिक जनपद को प्रेषित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
गाजियाबाद/अर्थला	अनु० 37/83 पीएलए	208	235.66	7.69	243.35	25.29	✓ 218.06
गाजियाबाद/फरीद-नगर	अनु० 37 पीएलए	288	158.64	6.40	165.04	0.00	✓ 165.04
योग			394.30	14.09	408.39	25.29	✓ 383.10

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवर्तन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व छूटा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- 2- सितम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- 4- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।



91/2

दूरभाष 2288700
2288710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर छूटा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्भर किये गये हैं।
 - कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सकार के निर्देशानुसार परियोजना की वलोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को छूटा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
 - सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०बी०) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
 - परि० प्रबन्धक, यू०पी०आ०एन०एन०, सूडा इकाई—गाजियाबाद।
 - अपर निदेशक सूडा।
 - परियोजना अधिकारी—सूडा
 - कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

भवदीय
नारा प्रताप सिंह
वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक